संख्या– 10 /पांच–1–22–19जी/2016

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **महानिदेशक,** चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,उ0प्र0, लखनऊ।
2. **महानिदेशक,** चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. **मुख्य कार्यपालक अधिकारी,** ए0बी–पी0एम0जे0ए0वाई(SHA), सांचीज, उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग–1 **लखनऊ : दिनांक : 07 जनवरी, 2022**

विषयः–राज्य कर्मचारियों तथा पेंशनर्स को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लिए **"पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना"** लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत शासनादेश संख्या–217/16/2108/पॉच–6–16–19(जी0)/16 दिनांक 29.08.2016 द्वारा सैद्वान्तिक निर्णय लिया गया है। इस सुविधा को लागू किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 2011, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या)(प्रथम संशोधन) नियमावली 2014 एवं उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या)(द्वितीय संशोधन) नियमावली 2016 में कतिपय अतिरिक्त प्राविधान/कतिपय संशोधन किये की आवश्यकता के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 2011 में तृतीय संशोधन, 2021 सम्बन्धी अधिसूचना संख्या–2992/2021/पांच–6–2022, दिनांक 05 जनवरी, 2022, चिकित्सा अनुभाग–6 द्वारा निर्गत कर दिया गया है।

2– राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स तथा उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को आकस्मिक/अप्रत्याशित व असाध्य रोगों का राज्य सरकार द्वारा निजी अनुबिन्धत चिकित्सालयों में कैशलेस चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या–986/पॉच–6–17–19 (जी0)/16 दिनांक 23.05.2017 द्वारा प्रश्नगत योजना का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना किया गया। उक्त योजना के कियान्वयन के संबंध में शासनादेश संख्या–115/17/2013/पॉच–6–17–19 (जी0)/16 दिनांक 05.09.2017 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये।

3– पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अन्तर्गत राज्य कर्मचारी एवं पेंशनर्स (अवकाश प्राप्त राज्य कर्मचारी) तथा उनके आश्रितों को आपातकालीन तथा असाध्य रोगों के कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान किये जाने के संबंध में आ रही व्यावहारिक कठिनाईयों के निराकरण के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 16.10.2018 को बैठक सम्पन्न हुई। सम्पन्न बैठक में योजना के कियान्वयन में आ रही व्यावहारिक कठिनाईयों के निराकरण के संबंध में कार्यालय ज्ञाप संख्या–796/पॉच–1–2019–19(जी)/2016, दिनांक 24.06.2019 द्वारा अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में 05 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। समिति के विचारार्थ संदर्भित प्रकरण पर कोविड–19 के प्रथम व द्वितीय फेज के संकमण काल के कारण निर्णय नहीं लिया जा सका। समिति की दिनांक 17.06.2021 व 02.12.2021 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के कम में योजना को संशोधित कर कियान्वित किये जाने पर मत स्थिर हुआ।

4– शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स तथा उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के सरकारी चिकित्सा

संस्थानो/सरकारी अस्पतालों में कैशलेस इलाज हेतु पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना निम्नानुसार क्रियान्वित की जायेगीः–

4.1– योजना का क्रियान्वयनः–

(i) उ0प्र0 के सरकारी कर्मचारियों, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों तथा उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के नियन्त्रणाधीन चिकित्सीय संस्थानों/चिकित्सालयों हेतु पृथक–पृथक कार्पस फण्ड का प्राविधान किया जायेगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन कार्पस से इनके नियन्त्रणाधीन चिकित्सा विश्वविद्यालय/चिकित्सा संस्थान तथा मेडिकल कालेजों व स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय को एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन सरकारी चिकित्सालयों को महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के अधीन स्थापित कार्पस से फण्ड दिया जायेगा। लाभार्थियों के कैशलेस उपचार के दौरान उपयोग होने वाली अग्रिम कार्पस फण्ड की आवंटित धनराशि 50 प्रतिशत शेष रह जाने पर कार्पस फण्ड में अतिरिक्त धनराशि की मांग उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर वित्त विभाग से की जा सकेगी।

(ii) सरकारी वित्त पोषित, चिकित्सा संस्थानों/चिकित्सालयों में लाभार्थियों को आवश्यकतानुसार कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध करायी जायेगी जिसकी कोई अधिकतम् सीमा निर्धारित नहीं होगी।

(iii) स्टेट हेल्थ कार्ड की सहायता से लाभार्थी की पहचान सुनिश्चित होने के उपरान्त, उन्हें चिकित्सालय में भर्ती करते हुए निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जायेगा। तदोपरान्त चिकित्सालय द्वारा उपचार पर व्यय की गयी धनराशि का बिल तैयार किया जायेगा। बिलों का समायोजन चिकित्सालय को प्रदत्त अग्रिम फण्ड से किया जायेगा।

(iv) लाभार्थी उपचार में प्रोसीजर, जांचे एवं आवश्यक दवाओं की बिलिंग ही अनुमन्य होगी। ऐसी दवाइयां जो खाद्य वस्तुओं, टॉनिक अथवा प्रसाधन के रूप में प्रयुक्त हों, की बिलिंग अनुमन्य नहीं होगी। ऐसी दवाईयॉ जो खाद्य वस्तुओं, टॉनिक अथवा प्रसाधन के रूप में प्रयुक्त हों, का भुगतान सरकारी कर्मचारी, पेंशनर्स अथवा उनके आश्रित को स्वयं करना होगा।

(v) कैशलेस सुविधा का कार्ड बनने तक की अवधि में उपरोक्त राजकीय चिकित्सा संस्थानों/अस्पतालों में अंतः रोगी के रूप में करवायी गई चिकित्सा के अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा सत्यापित बीजक के आधार पर प्रशासनिक विभाग के द्वारा पूर्ण प्रतिपूर्ति कर दी जायेगी। ऐसे बीजकों का परीक्षण मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से करवाना आवश्यक नहीं होगा।

4.2– आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत आबद्ध निजी चिकित्सालयों में कैशलेस उपचार की व्यवस्थाः–

(i) आयुष्मान भारत योजना में आबद्ध निजी चिकित्सालयों में भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के सरकारी कर्मचारियों, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों तथा उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी।

(ii) आबद्ध निजी चिकित्सालयो में उपचार के व्यय की सीमा प्रति लाभार्थी परिवार प्रति वर्ष रू0 5 लाख तक होगी।

(iii) वर्तमान में आयुष्मान भारत योजनान्तर्गत आबद्ध निजी चिकित्सालयों में सामान्य वार्ड ही अनुमन्य है। आबद्व चिकित्सालयों से अतिरिक्त अनुबन्ध तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव के उपरान्त आबद्व निजी चिकित्सालयों में पे–बैण्ड के आधार पर प्राइवेट/सेमी प्राइवेट वार्ड की सुविधा भविष्य में उपलब्ध करायी जायेगी।

4.3– स्टेट हेल्थ कार्ड:–

(i) सभी सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों तथा सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों का ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से स्टेट हेल्थ कार्ड बनाया जायेगा। स्टेट हेल्थ कार्ड की सहायता से लाभार्थी पहचान के उपरान्त ही चिकित्सालयों में कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध होगी।

(ii) स्टेट हेल्थ कार्ड में सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों तथा सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों के अतिरिक्त उनके परिवार के आश्रित सदस्यों का विवरण भी उपलब्ध होगा।

(iii) सभी विभागाध्यक्षों का यह दायित्व होगा कि समय से समस्त विभागीय सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों तथा सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों/ अधिकारियों का स्टेट हेल्थ कार्ड बन जाये।

(iv) ऑनलाइन स्टेट हेल्थ कार्ड बनाने की जिम्मेदारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्यरत साचीज (स्टेट एजेन्सी फॉर हेल्थ एण्ड इन्टीग्रेटेड सर्विसेज) की होगी जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना/मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान की स्टेट नोडल एजेन्सी है।

(v) पंडित दीन दयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के कार्यान्वयन हेतु साचीज में एक संयुक्त निदेशक के अधीन एक पृथक सेल की स्थापना की जायेगी, जिसमें 02 चिकित्सक, 02 डाटा एनालिस्ट, 01 सॉफ्टवेयर डेवलपर, 02 कम्प्यूटर आपरेटर, 02 लेखाकार एवं 01 सहायक स्टाफ सम्मिलित होगें।

4.4– आई0टी0 प्लेटफार्म:–

(i) सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों तथा सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों/ अधिकारियों का स्टेट हेल्थ कार्ड बनाये जाने तथा उनके आश्रितों सहित उनका डाटा संरक्षित करने के अतिरिक्त योजना का पोर्टल डेवलेप एवं स्थापित करने हेतु स्टेट डाटा सेन्टर में सर्वर की स्थापना की जायेगी।

(ii) योजना के पोर्टल का डेवलेपमेन्ट एवं रख–रखाव साचीज द्वारा किया जायेगा।

4.5– चिकित्सा प्रतिपूर्ति की व्यवस्था :–

(i) कैशलेस चिकित्सा व्यवस्था के अतिरिक्त सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों तथा सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों को यह विकल्प भी उपलब्ध होगा कि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार किसी चिकित्सालय में इलाज के उपरान्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं।

(ii) ओ0पी0डी0 उपचार के उपरान्त भी चिकित्सा प्रतिपूर्ति की व्यवस्था पूर्ववत् लागू रहेगी।

4.6– वित्तीय उपाशय:–

(i) प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत साचीज से आबद्ध निजी चिकित्सालयों में प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान/मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान की भांति प्रति परिवार हेतु एक वर्ष में रू 05 लाख तक की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

इस हेतु प्रति लाभार्थी परिवार धनराशि रू 1102/– की दर से साचीज को दिया जायेगा। यदि इन दरों को भविष्य में संशोधित किया जाता है, तो संशोधित दर के अनुसार धनराशि साचीज को उपलब्ध कराया जायेगा।

(ii) राजकीय मेडिकल कालेजों/चिकित्सकीय संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों अथवा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों को अग्रिम धनराशि उपलब्ध कराने हेतु रू 200 करोड का एक कार्पस चिकित्सा शिक्षा विभाग में बनाया जाएगा, जिससे प्रथम किश्त के रूप में अधिकतम 50 प्रतिशत का अग्रिम उपलब्ध कराया जाएगा। इन चिकित्सालयों को दिये गये अग्रिम की 50 प्रतिशत की उपयोगिता का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर उन्हें अगली किश्त उपलब्ध करवा दी जाएगी। उक्त कार्पस में दी गई धनराशि के 50 प्रतिशत का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर कार्पस में वित्त विभाग द्वारा इसकी प्रतिपूर्ति की जायेगी। इस प्रकार यह प्रकिया सतत रूप से चलती रहेंगी।

(iii) इसी प्रकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों को अग्रिम धनराशी उपलब्ध कराने हेतु रू0 100 करोड़ का कार्पस चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में बनाया जाएगा। कार्पस में उपलब्ध धनराशि से राजकीय चिकित्सालयों को आवश्यकतानुसार अग्रिम उपलब्ध करवाया जायेगा। इन चिकित्सालयों को दिये गये अग्रिम का 50 प्रतिशत का उपयोगता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर उन्हें अगली किश्त उपलब्ध करवा दी जाऐगी। उक्त कार्पस में दी गई धनराशि के 50 प्रतिशत का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर कार्पस में वित्त विभाग द्वारा इसकी प्रतिपूर्ति की जायेगी। इस प्रकार यह प्रक्रिया सतत रूप से चलती रहेंगी।

(IV) इन दोनो विभागों में कार्पस की धनराशि को सरकारी बैंक में पृथक खाता खोल कर रखा जाएगा जिससे अस्पतालों को निर्बाध रूप से चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करवायी जा सके। चिकित्सालयों एवं राजकीय महाविद्यालय द्वारा भी अग्रिम के रूप में प्राप्त धनराशि को सरकारी बैंक में पृथक खाता खोलकर रखा जायेगा।

(v) राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों/सस्थानों के द्वारा इन राजकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों पर किये गये व्यय का पृथक लेखा जोखा रखा जाएगा। उपचार से संबंधित बिल एवं अभिलेख सुरक्षित रखे जायेगें, जिससे समय समय पर नियमानुसार वित्तीय/लेखा परीक्षण एवं मेडिकल आडिट नियमित रूप से कराया जायेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निर्देशित बिन्दुओं पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
7.1.22
(अमित मोहन प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख/सचिव/विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग को इस आशय से प्रेषित कि अपने अधीनस्थ चिकित्सीय संस्थानों/चिकित्सालयों में योजना के क्रियान्वयन के संबंध में किये गये निर्णयानुसार सर्व सम्बन्धित को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित करते हुए योजना के क्रियान्वयन हेतु लिये गये निर्णयुनसार सतत् अनुश्रवण करने का कष्ट करें।
5. समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6. निदेशक (चिकित्सा उपचार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
7. वित्त नियत्रंक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ/चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8. समस्त निदेशक/मण्डलीय अपर निदेशक/प्रमुख अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग उ0प्र0।
9. समस्त प्राचार्य, राजकीय एवं स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, उ0प्र0।
10. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(रविन्द्र)
सचिव।